

21/05/24

का. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। जवाब विपक्षीगण हेतु अवसर -चाह्य। जवाब हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जा-चुके हैं। न्यायादित में अंतिम अवसर दिया जाता है। मि. वास्ते जवाब विपक्षीगण के दिनांक 16/07/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर सलूमबर
जिला सलूमबर

16/07/24

पत्रावली पेश हुई/बन्दी-प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी/बजट/कानून व्यवस्था/भ्रमण...प्रशासनिक कार्य होने में पत्रावली दि. 30/07/24 को पेश होवे।

आज्ञा से

[Signature]

रीडर

उपखण्ड अधिकारी
सलूमबर

NP

[Signature]
RCC

30/07/24

का. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। वकील पार्थी ने उच्छेद नोट पेश अंकित कर निवेदन किया कि पार्थी उच्छेद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वकील पार्थी के निवेदन पर पार्थी का पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-22 R.T.A कानून पेश में स्वीकृत किया जाता है।

पत्रावली फंसल सुमार डेकर नम्बर से कम हो। निर्णय शुद्ध न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूमबर
जिला सलूमबर